

भारत संचार निगम लिमिटेड

॥ भारत सरकार का उपक्रम ॥

अणु एवं अग्रिम अनुभाग
.....

मोटर कार/मोटर साइकल/स्कूटर खरीदने तथा खरीदने के लिए बुकिंग कराने के लिए सामान्य भविष्य निधि से अंतिम रूप से धन निकालने के लिए आवेदन पत्र ।

1. अंशदाता का नाम
2. पदनाम
3. मूल वेतन
4. भविष्य निधि खाता संख्या
5. कार्यालय जिसमें सामान्य भविष्य निधि खाते का लेखा जोखा किया जाता है
6. आवेदन की तारीख को अंशदाता के खाते में जमा अधिशेष
7. अपेक्षित धनराशि
8. ॥ अ ॥ प्रयोजन जिसके लिए यह धनराशि अपेक्षित है
- ॥ i ॥ मोटर कार/मोटर साइकल/स्कूटर खरीदने के लिए/बुकिंग कराने हेतु
- ॥ ii ॥ सरकार से इस प्रयोजन हेतु लिए गए अणु धन को वापस करने के लिए
- ॥ iii ॥ कार की वास्तविक कीमत
- ॥ यदि मद संख्या ॥ i ॥ लागू हो तो ॥
- ॥ iv ॥ सामान्य राजस्व से इस प्रयोजन के लिए लिया गया अग्रिम धन
- ॥ v ॥ इस प्रयोजन के लिए मांगी गई धन राशि और सामान्य राजस्व से इस उद्देश्य के लिए पहले से लिए गए अग्रिम राशि 16,000/- रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए, या कार की वास्तविक कीमत जो भी कम हो

- १७७ क्या इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने का यह प्रथम अवसर है
- १७८ कुल सेवा अलग-अलग अवधियों सहित, यदि कोई हो
- १७९ आवेदन की तारीख को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सेवा अवधि अधिवार्षिता की तारीख
10. पिछली अंतिम निकासी का प्रयोजन और धनराशि किस कार्यालय द्वारा संस्वीकृत की गई थी तथा उसका भुगतान किस महीने में किया गया था ।

आवेदक के हस्ताक्षर :
पदनाम :
दूरभाष नम्बर :
तारीख:

मद संख्या । से 6 तक में दिए गए विवरणों का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें सही पाया गया है ।

अनुभाग अधिकारी १७७/वेतन बिल/१७८/रोकड़ अनुभाग/ए.ओ.१७९/रोकड़
मद संख्या १७८, १७९ और १७९ का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें सही पाया गया है ।

अनुभाग अधिकारी १७९/सी.एस.एस/कार्मिक-1, 11/पेमान/ए एण्ड ई/एस ई ए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने भारत सरकार वित्त मंत्रालय की फाईल संख्या १७९-ईवी एम १७९/72 दिनांक 27.02.75 के अंतर्गत सामान्य भाषिष्य निधि १७९ सिविल सेवा नियमावली 1960 के नियम 15 में विहित शर्तों के मामले में अपनी संतुष्टि कर ली है ।

अनुभाग अधिकारी १७९/ए.एस.एस/अग्रिम